2008 CGHC 1159

प्रकाशन हेतु अनुमोदित
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (सी) क्रमांक 5928 /2006

मेसर्स दाऊजी फामर्स एवं अन्य

बनाम

देना बैंक एवं अन्य

निर्णय एवं आदेश के उदघोषणा हेतु दिनांक 05-11-2008 को नियत किया जाए।

सही/-
सतीश के.अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (सी) क्रमांक 5928 /2006

याचिकाकर्तागण :- 1. मेसर्स दाऊजी फामर्स कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ग्राम नेओरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आशुतोष कुमार अग्रवाल, पिता स्व. श्री के.एल. अग्रवाल, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम नेओरा (तिल्दा), डाकघर नेओरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

3. अरविन्द कुमार अग्रवाल, पिता स्व. श्री के.एल. अग्रवाल, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम नेओरा (तिल्दा), डाकघर नेओरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण :- 1. देना बैंक, शाखा तिल्दा, डाकघर नेओरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. प्राधिकृत प्राधिकारी, देना बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, रुक्मिणी भवन, जय राम कॉम्प्लेक्स के पास, रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492001

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)
एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

.....

उपस्थित :- याचिकाकर्तागणों की ओर से श्री सतीश अग्रवाल अधिवक्ता, श्री अंकित सिंघल अधिवक्ता ।
उत्तरवादीगण की ओर से श्री अभिषेक सिन्हा अधिवक्ता ।

निर्णय एवं आदेश

(05 नवम्बर, 2008 को पारित किया गया)

इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्तागण दिनांक 28-07-2006 (अनुलग्नक -पी/4) के नोटिस की वैधता एवं औचित्य को चुनौती देना चाहते हैं, जो कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूत हित का प्रर्वतन अधिनियम, 2002 [संक्षेप में **"**सरफेसी अधिनियम**"**] की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्तागणों को जारी विधिक नोटिस का प्रस्तुत जवाब दिनांक 10-10-2006 (अनुलग्नक -पी/6) तथा प्रतिभूतियों के कब्जे की मांग से संबंधित सूचना सह पत्र दिनांक 23-10-2006 (अनुलग्नक -पी/9) को भी चुनौती दिया गया है।

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्विवाद तथ्यों का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो चावल एवं संबंधित उत्पादों के मिलिंग, छंटाई एवं व्यापार , व्यवसाय में संलग्न है। याचिकाकर्ता क्रमांक 2 एवं 3, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के संचालक हैं। याचिकाकर्तागणों के अनुसार, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को कथित रूप से पैकिंग क्रेडिट हाइपोथिकेशन सीमा, विदेशी बिल क्रय सीमा, टर्म लोन तथा विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट सीमा के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियां प्रदान की गई थीं। यह सीमा समय -समय पर बढ़ाई गई। उपरोक्त ऋण सुविधाओं, ब्याज एवं अन्य देय राशि का भुगतान करने में कथित रूप से विफल रहने के कारण दिनांक 17-07-1997 को याचिकाकर्तागणों ने ग्राम तेलीबांधा तथा तिल्दा जिला रायपुर छ०ग० में स्थित अपनी अचल संपत्तियों का बंधक बैंक के पक्ष में दर्ज कराया। बैंक द्वारा याचिकाकर्तागणों की परिसंपत्ति को (एनपीए) गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस प्रकार उत्तरवादी क्रमांक 1 ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 24-02-2005 (अनुलग्नक-पी/1) का नोटिस जारी किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) याचिकाकर्तागणों ने दिनांक 13-4-2005 (अनुलग्नक-पी/2) को उत्तरवादीगण द्वारा जारी उक्त नोटिस के संबंध में अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उक्त जवाब पर न तो विचार किया गया, और न ही कोई निर्णय लिया गया। इस बीच, उत्तरवादीगण ने वसूली कार्यवाही प्रारंभ करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर (संक्षेप में ''डीआरटी'') के समक्ष मूल वाद क्रमांक 94/2005 दायर किया, जो विचारण एवं न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है। उत्तरवादीगण ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 28-07-2006 (अनुलग्नक-पी/4) का द्वितीय मांग नोटिस जारी किया। याचिकाकर्तागणों ने उक्त नोटिस के जवाब में दिनांक 04-10-2006 (अनुलग्नक-पी/5) को अपना उत्तर प्रस्तुत

करते हुए यह आपत्ति उठाई कि याचिकाकर्तागणों के विरुद्ध दो समानांतर कार्यवाहियां प्रारंभ नहीं की जा सकतीं—एक ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के समक्ष, जो मूल वाद संख्या 94/2005 में विचाराधीन है, और दूसरी सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अंतर्गत। इस प्रकार, दिनांक 28-07-2006 का पश्चातवर्ती नोटिस विधि विरुद्ध है।

4) उत्तरवादीगण बैंक ने दिनांक 04-10-2006 के विधिक नोटिस का दिनांक 10-10-2006 (अनुलग्नक-पी/6) को जवाब भेजते हुए यह उल्लेख किया कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 24-02-2005 का नोटिस वापस लिया हुआ माना जाए, और तदनुसार उक्त विधिक नोटिस को अस्वीकार(निरस्त) कर दिया गया। यह भी विचार व्यक्त किया गया कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 28-07-2006 को जारी नोटिस के अनुपालन में, उक्त नोटिस में अपेक्षित अनुसार संपूर्ण भुगतान यथाशीघ्र किया जाए। तत्पश्चात्, याचिकाकर्तागणों ने दिनांक 16-10-2006 (अनुलग्नक-पी/7) का एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह आग्रह किया गया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा *मेसर्स सुश्री कल्याणी सेल्स कंपनी बनाम भारत संघ* के प्रकरण में दिए गए निर्णय के आलोक में कोई कार्यवाही न की जाए, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दो कार्यवाहियां एक साथ नहीं चलाई जा सकतीं। यह भी अवगत कराया गया कि यह विषय माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस विधिक प्रश्न पर लंबित होकर विचाराधीन है कि क्या *बैंकों और वित्तीय संस्थानों से देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993* (संक्षेप में **"**अधिनियम, 1993") तथा *सरफेसी अधिनियम* के प्रावधानों के अंतर्गत दो समानान्तर कार्यवाहियां एक साथ चल सकती हैं अथवा नहीं। उत्तरवादीगण बैंक ने दिनांक 16-10-2006 के याचिकाकर्तागणों के अभ्यावेदन के जवाब में 23-10-2006 (अनुलग नक-पी/9) को उत्तर प्रेषित कर याचिकाकर्तागणों को सूचित किया कि बैंक प्राधिकारी 13-11-2006 को बैंक के प्रति बंधक/अभिनियत संपत्तियों/संपत्ति-सम्पदा का कब्ज़ा ले लेंगे। याचिकाकर्तागणों को आगे यह भी प्रतिबंधित किया गया कि वे बैंक के प्रति अभिदत्त/बंधक रखी गई परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा या किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरण न करें। उक्त कार्रवाई से क्षुब्ध होकर, याचिकाकर्ताओं ने उपर्युक्त मांग नोटिस/आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इस न्यायालय ने, याचिकाकर्तागणों के अधिवक्ता को सुनने के उपरांत, *एम.(डब्ल्यू.).पी. क्र. 4437/2006* में की गई प्रार्थना के अनुसार दिनांक 8-11-2006 को अंतरिम आदेश पारित किया। *एम.(डब्ल्यू.).पी. क्र. 4437/2006* की प्रार्थना इस प्रकार है—

> " यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय कृपया दिनांक 28-7-2006 के मांग नोटिस तथा दिनांक 10-10-2006 एवं 23-10-2006 के आदेशों के प्रभाव और प्रवर्तन पर, रिट याचिका के अंतिम निस्तारण तक, स्थगन प्रदान करने की कृपा करें।''

6. याचिकाकर्तागणों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री सतीश अग्रवाल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सरफेसी *अधिनियम* की धारा 13(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, *संपत्ति अंतरण अधि-नियम, 1882* (*1882 का अधिनियम संख्या 4) की धारा* 69 एवं 69-क में अंर्तविष्ट कि-सी बात के होते हुए भी, प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में सृजित कोई प्रतिभूति हित , ऐसे ले-नदार द्वारा, न्यायालय या अधिकरण के हस्तक्षेप के बिना, इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसार प्रवृत किया जा सकेगा फलस्वरूप्, सरफेसी *अधिनियम* के प्रावधानों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, प्रतिभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रारंभ की जानी होती है। सरफेसी *अधिनियम* की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी मांग नोटिस केवल कारण बताओ नोटिस मात्र नहीं है, बल्कि यह सरफेसी *अधिनि-यम* के प्रावधानों के अंतर्गत वसूली कार्यवाही प्रारंभ करने के समान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. श्री अग्रवाल ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि सरफेसी *अधिनियम* की धारा 13(3क) के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी पर यह दायित्व है कि वह मांग के अधीन उधारप्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन या आपत्ति का निपटारा करे। यदि अभ्यावेदन या आपत्ति स्वीकार्य न हो, तो उसके निरस्त किये जाने की सूचना देना अनिवार्य है; कि-न्तु यदि उसे स्वीकार कर लिया जाए, तो प्राधिकृत अधिकारी पर स्वीकृति की सूचना देने का कोई दायित्व नहीं होता। वर्तमान प्रकरण में, दिनांक 24-2-2005 के मांग नोटिस के जवाब में याचिकाकर्तागणों द्वारा दिनांक 13-4-2005 को प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन की अस्वीकृति के संबंध में याचिकाकर्तागणों को कोई सूचना नहीं दी गई। चूँकि उत्तरवादी बैंक ने दिनांक 13-4-2005 का याचिकाकर्तागणों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार कर लिया था, अतः उसने कथित बकाया राशि की वसूली हेतु *ओ.ए. सं. 94/2005* में *ऋण वसूली अधिकरण* के समक्ष वसूली आवेदन प्रस्तुत किया। एक बार सरफेसी *अधिनियम* के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त वसूली के उपाय का उपयोग किए जाने के पश्चात, उत्तरवादी बैंक

धारा 13(2) के अंतर्गत दूसरा नोटिस जारी कर नई वसूली कार्यवाही पुनः प्रारंभ नहीं कर सकता। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया था कि यह स्वीकार किया जाता है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत 24-2-2005 के मांग नोटिस द्वारा वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की थी, जिसे बिना पुनः आरंभ करने की अनुमति के वापस ले लिया गया है। उत्तरवादी क्रमांक 2 के लिए सरफेसी अधिनियम के तहत पुनः वसूली कार्यवाही आरंभ करना अनुज्ञेय नहीं है। सरफेसी अधिनियम के तहत ऋणी के विरुद्ध शक्तियाँ केवल एक बार ही लागू की जा सकती हैं, जबकि यह विषय समानांतर कार्यवाही के विषय के अतिरिक्त है, इसलिए इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

8. इसके विपरीत, श्री अभिषेक सिन्हा, उत्तरवादीगण/बैंक की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने कहा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उत्तरवादीगण/बैंक द्वारा याचिकाकर्तागणों के विरुद्ध की गई कार्रवाई सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के तहत अपील योग्य है और उक्त वैधानिक वैकल्पिक उपचार के दृष्टिगत वर्तमान याचिका पोषणीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. श्री सिन्हा ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत दूसरा नोटिस जारी करने से याचिकाकर्ताओं को कोई हानि नहीं हुई है, बल्कि इसके विपरीत, याचिकाकर्तागणों को कारण बताने का यह अतिरिक्त अवसर दिया गया है कि वे यह प्रस्तुत करें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को स्वतंत्र और समानांतर अधिकार प्रदान करता है ताकि वे दीर्घकालीन संपत्तियों की वसूली कर सकें, तरलता, परिसंपत्ति-दायित्व की समस्याओं का प्रबंधन कर सकें, और सुरक्षा संपत्तियों का कब्ज़ा लेकर, उन्हें बेचकर तथा वसूली या पुनर्निर्माण के उपाय अपनाकर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम कर सकें। सरफेसी अधिनियम व्यापक जनहित और देश की आर्थिक वृद्धि के लिए बनाया गया है। सरफेसी अधिनियम के अध्याय-**III** के अंतर्गत धारा 13(2) के तहत उपाय करने के लिए कोई निश्चित समय अवधि निर्धारित नहीं की गई है। यदि उधारप्राप्तकर्ता अपनी पूरी देयता का भुगतान करने में विफल रहता है, तो सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) में निर्धारित अवधि अर्थात् 60 दिन पूरी होने के बाद, प्रतिभूत ऋणदाता सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उल्लिखित एक या अधिक उपायों का सहारा ले सकता है।

परन्तु अध्याय-**III** के अंतर्गत कोई ऐसा प्रतिबंध/अवरोध निर्धारित नहीं किया गया है जिसके कारण बैंक/प्रतिभूत ऋणदाता सरफेसी अधिनियम के अध्याय-**III** की धाराओं को लागू करने से रोका जा सके। उत्तरवादीगण बैंक ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (3क) के अंतर्गत एक सप्ताह की अवधि में अभ्यावेदन पत्र पर लिए गए निर्णय को याचिकाकर्तागणों को सूचित न किए जाने के आधार पर सरफेसी अधिनियम की धाराओं को लागू करने के अपने अधिकारों पर न तौ मौन स्वीकृति दी है न ही अपने अधिकारों का परित्याग किया है। प्र-क्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन न करना तब तक घातक नहीं होगा जब तक कि संबंधित संविधि या नियम ऐसा अनिवार्य न करे, और विशेष रूप से जब इससे कोई नु-कसान न हुआ हो। चूंकि सरफेसी अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो धारा 13 (3) के अनुपालन न करने पर विधिक परिणामों को आकर्षित करे, और दूसरी कारण बताओ नोटिस/डिमांड नोटिस से याचिकाकर्तागणों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए 'व्यर्थ औपचारिकता' का सिद्धांत लागू किया जा सकता है।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान् अधिवकताओं को सुना, याचिका तथा उनसे संलग्न दस्तावेज़ों का अव-लोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. श्री अग्रवाल, याचिकाकर्तागणों के विद्वान अधिवक्ता, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि या-चिकाकर्तागण याचिका में उठाए गए उस आधार पर बल नहीं देना चाहते, जिसके अनु-सार, जब वसूली की कार्यवाही ऋण वसूली प्राधिकरण के समक्ष लंबित हो, तो उत्तरवादी बैंक सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही नहीं कर सकता। माननीय उच्च चतम न्यायालय द्वारा **मेसर्स ट्रांसकोर बनाम भारत संघ एवं अन्य**[1] के प्रकरण में दिए गए निर्णय के आलोक में, जिसमें माननीय न्यायधीशधीशगणों ने यह अभिनिर्धारित किया कि **ऋण वसूली प्राधिकरण** के अंतर्गत **ऋण वसूली प्राधिकरण** के समक्ष लंबित मूल आवेदन को वापस लेना, **एनपीए अधिनियम** के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने की पूर्व-शर्त नहीं है। यह बैंक/वित्तीय संस्था (**FI**) के विवेक पर निर्भर करता है कि किन प्रकरण में वे आवेदन वा-पसी के लिए अनुमति हेतु आवेदन करें और किन मामलों में वे अनुमति के लिए आवेदन न करें।

12. इस न्यायालय द्वारा विचारार्थ उठाए गए विषय को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(1) के प्रावधानों को उद्धृत करना आवश्यक है :-

‘’ प्रतिभूति हित का प्रवर्तन –(1) संपत्ति अंतरण अधिनियम , 1882 (1882) का अधिनियम संख्या 4) की धारा 69 या धारा 69-क में अंर्तविष्ट किसी बात के होते हुए

भी, किसी प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में सृजित कोई हित,ऐसे लेनदार द्वारा न्यायालय या अधिकरण के मध्यक्षेप के बिना इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसार प्रवृत किया जा सकेगा । ‘’

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सरफेसी अधिनियम की धारा 13(1) के प्रावधान, जिसमें यह शब्द सम्मिलित है — *"यद्यपि सं-पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 69 या धारा 69क में* अंर्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी "— यह स्पष्ट करता है कि यह एक *अधिभावी* उपबंध है, जो उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों पर, उनके साथ टकराव की स्थिति में, प्रभावी एवं प्र-बल रहेगा।(देखें: **ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एवं अन्य बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य**[2], पृष्ठ-12)

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारत संघ एवं अन्य बनाम जी.एम. कोकिल एवं अन्य** [3]के प्र-करण में, **बॉम्बे दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1948** की धारा 70 में निहित *अधिभावी* उप-बंध पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया कि यह सर्वविदित है कि *अधिभावी* उपबंध एक विधा-यी उपाय है, जिसका प्रयोग प्रायः इस उद्देश्य से किया जाता है कि किसी प्रावधान को अन्य वि-परीत प्रावधानों पर प्रभावी एवं प्रबल बनाया जाए—चाहे वे विपरीत प्रावधान उसी अधिनियम में निहित हों या किसी अन्य अधिनियम में—अर्थात् सभी विपरीत प्रावधानों के प्रभाव और प्रवर्तन से बचने के लिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड बनाम अक्स ऑप्टिफाइबर लिमिटेड एवं अन्य**[4] के प्रकरण में उसका उल्लेख किया।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ट्रांसकोर (उक्त)** मामले में यह प्रतिपादित किया है कि **सार्फ़ेसी अधिनियम** एक विशेष अधिनियम है। निर्णय के कंडिका 48 में इस प्रकार कहा गया है :-

"48. हम पहले ही दोनों अधिनियमों की रूपरेखा का विश्लेषण कर चुके हैं। मूलतः, **एनपीए अधिनियम** का निर्माण उन वित्तीय परिसंपत्तियों में निहित अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए किया गया है, जो बैंक/वित्तीय संस्था (FI) के स्वामित्व में होती हैं—चाहे वह पक्षकारों के बीच अनुबंध के आधार पर हो, या सामान्य विधि के सिद्धांतों के संचालन द्वारा, अथवा विधि के द्वारा।" एनपीए अधिनियम की धारा 13 का मुख्य उद्देश्य बिना किसी न्यायिक/न्यायालयीय प्रक्रिया के वसूली करना है। एनपीए अधिनियम के तहत 'सुरक्षित संपत्ति' वह संपत्ति है, जिसमें उधारकर्ता ने बैंक/वित्तीय संस्था (FI) के पक्ष में हित बनाया हो। और इसी आधार पर, एनपीए अधिनियम बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के उस सुरक्षा हित को लागू करने का प्रयास करता है।

[2] 1991 Supp (1) SCC 81
[3] 1984 (Supp) SCC 196
[4] (2005) 7 SCC 234

मूल रूप से, एनपीए अधिनियम प्रतिभूत ऋणदाता के अधिकारों से संबंधित है।**एनपीए अधिनियम** इस आधार पर आगे बढ़ता है कि देनदार न केवल ऋण चुकाने में विफल रहा है, बल्कि वह मार्जिन के स्तर को बनाए रखने और सुरक्षा के मूल्य को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने के अपने अन्य दायित्व का भी पालन करने में विफल रहा है। इसी अन्य दायित्व के उल्लंघन से **एनपीए अधिनियम** की प्रयोज्यता उत्पन्न होती है। यही कारण है कि **एनपीए अधिनियम** की धारा 13(1) और 13(2) इस आधार पर आगे बढ़ती हैं कि बैंक/वित्तीय संस्था के प्रतिभूत हित को न्यायालय/न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना शीघ्रता से प्रवर्तित किया जाना आवश्यक है; कि ऋणी की देनदारी उत्पन्न हो चुकी है और पुनर्भुगतान में लोप के कारण, बैंक की पुस्तकों में ऋणी का खाता *गैर-निष्पादित परिसंपत्ति* बन गया है। उपरोक्त कारणों से, **एनपीए अधिनियम** यह व्यवस्था करता है कि प्रवर्तन *निर्णयात्मक प्रक्रिया के बिना* किया जा सकता है और उक्त अधिनियम उपरोक्त परिस्थितियों में प्रतिभूत ऋणदाता के अधिकारों पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देता है। उपरोक्त कारणों से, **एनपीए अधिनियम** यह निर्धारित करता है कि प्रवर्तन *निर्णयात्मक प्रक्रिया के बिना* किया जा सकता है और उक्त अधिनियम उपर्युक्त परिस्थितियों में सुरक्षित ऋणदाता के अधिकारों पर लगे सभी अवरोधों को हटा देता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. सामान्य अधिनियम के प्रवर्तन को बाद के विशेष अधिनियम द्वारा सीमित किया जा सकता है। प्रसिद्ध लेखक न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, द्वारा लिखित *सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत* के दसवें संस्करण में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:-

> - **"किसी सामान्य अधिनियम के संचालन को किसी बाद में बनाए गए विशेष अधिनियम द्वारा सीमित किया जा सकता है, भले ही सामान्य अधिनियम में *अधिभावी* प्रावधान सम्मिलित हो। यदि बाद में बनाए गए विशेष अधिनियम में भी अधिमान्य *अधिभावी* प्रावधान हो, तो सामान्य अधिनियम के सीमित होने की संभावना अधिक सहजता से अनुमानित की जाएगी।"** (देखें – *इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक एवं अन्य* [5])

17. याचिकाकर्तागणो के विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि, एक बार जब सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस जारी कर दिया जाता है, तो धारा 13(2) के अंतर्गत दूसरा मांग नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधाराएँ (1), (2), (3), (3क) एवं (4) इस प्रकार हैं :-

> 13-'' प्रतिभूति हित प्रवर्तन –(1) संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 (1882 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 69 या धारा 69 -क में अंर्तविष्ट किसी बात के होते हुए

[5] (2000) 4 SCC 406

भी , किसी प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में सृजित कोई प्रतिभूति हित, ऐसे लेनदार द्वारा, न्यायालय या अधिकरण के हस्तक्षेप के बिना, इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसार प्रवृत्त किया जा सकेगा।

(2) जहाँ कोई ऋणी, जो किसी प्रतिभूति करार के अधीन किसी प्रतिभूत लेनदार के प्रति दायित्वाधीन है, प्रतिभूत ऋण या उसकी किसी किस्त के प्रतिसन्दाय में व्यतिक्रम करता है और उसके ऐसे ऋण से संबंधित लेखे को प्रतिभूत लेनदार या द्वारा गैर-निष्पादनीय आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तब प्रतिभूत लेनदार ,लिखित सूचना देकर उधार लेने वाले से सूचना की दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रतिभूत लेनदार के प्रति उसके दायित्वों का पूर्णतया निर्वहन किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा , जिसके न होने पर प्रतिभूत लेनदार, उपधारा (4) के अधीन सभी या किन्हीं अधिकारों का पयोग करने का हकदार होगा :

(3) उपधारा (2) मे निर्दिष्ट सूचना में ऋणी द्वारा सन्देय रकम और ऋणी द्वारा प्रतिभूत ऋणों के असन्दाय की दशा में प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रवर्तित किए जाने के लिये आशयित प्रतिभूत आस्तियों के ब्यौरे होंगें।

(3क) – यदि, उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, उधार लेने वाला, कोई अभ्यावेदन करता है या कोई आक्षेप करता है तो प्रतिभूत लेनदार, उस अभ्यावेदन या आक्षेप पर विचार करेगा और यदि प्रतिभूत लेनदार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा अभ्यावेदन या आक्षेप स्वीकार्य या मान्य नहीं है तो वह ऐसे अभ्यावेदन या आक्षेप की प्राप्ति के [पन्द्रह दिन के भीतर] अभ्यावेदन या आक्षेप की अस्वीकार करने के कारण उधार लेने वाले को संसूचित करेगा :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परन्तु इस प्रकार संसूचित किए गए कारण या कारणों की संसूचना के प्रक्रम पर प्रतिभूत लेनदार की संभावित कार्यवाही उधार लेने वाले को धारा 17 के अधीन ऋण वसूली अधिकरण या धारा 17-क के अधीन जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।]

(4) यदि उधार लेने वाला, उपधारा (2) में विर्निदिष्ट अवधि के भीतर अपने दायित्व का पूर्णतः निर्वहन करने में असफल रहता है तो प्रतिभूत लेनदार, अपने प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिये निम्नलिखित में से एक या अधिक उपाय कर सकेगा, अर्थात –

(क) उधार लेने वाले की प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा लेना जिसके अंतर्गत प्रतिभूत आस्ति की वसूली के लिये पटटे समनुदेशन या विक्रय द्वारा अंतरण का अधिकार भी है,

(ख) उधार लेने वाले के कारबार का प्रबंध ग्रहण करना, जिसके अंतर्गत प्रतिभूत आस्ति की वसूली के लिये पटटे या विक्रय द्वारा अंतरण का अधिकार भी है :

परन्तु पटटे, समनुदेशन या विक्रय द्वारा अंतरण के अधिकार का केवल वहीं प्रयोग किया जाएगा जहॉ उधार लेने वाले के कारबार का महत्वपूर्ण भाग ऋण के लिये प्रतिभूति के रूप में धारित किया गया है: -

परन्तु यह और कि जहॉ संपूर्ण कारबार या कारबार के भाग का प्रबन्धन पृथक्करण योग्य है वहॉ प्रतिभूत लेनदार, उधार लेने वाले के ऐसे कारबार का, जो ऋण के लिये प्रतिभूति से संबंधित है, प्रबंध ग्रहण करेगा]

(ग) प्रतिभूति, आस्तियों, जिसका कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा ग्रहण किया गया है ,का प्रबंध करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त करना (इसे इसमें इसके पश्चात प्रबंधक कहा गया है)

(घ) ऐसे किसी व्यक्ति, जिसने उधार लेने वाले को शोध्य हो सकता है, लिखित में सूचना द्वारा किसी भी समय उतने धन का प्रतिभूत लेनदार को सन्दाय किए जाने की अपेक्षा करना जो प्रतिभूत ऋण के सन्दाय के लिये पर्याप्त हो।

18. अध्याय **III**, ' सरफेसी अधिनियम' में सुरक्षा हित के प्रवर्तन से संबंधित प्रावधान निहित हैं। धारा 13(2) में ऋण को 'गैर-निष्पादित परिसंपत्ति' के रूप में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में, सुरक्षित ऋणदाता, उधारप्राप्तकर्ता को लिखित रूप में नोटिस देकर यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उक्त नोटिस की तिथि से साठ दिनों के भीतर सुरक्षित ऋणदाता के प्रति अपनी संपूर्ण देनदारी का निर्वहन कर दे। सामान्यतः, यह प्रावधान उधारप्राप्तकर्ता की परिसंपत्तियों पर कब्ज़ा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लेने हेतु किया गया है, और अन्य बातों के साथ-साथ, उपधारा (4) में निर्दिष्ट विभिन्न उपाय अपनाने का प्रावधान करता है। उपधारा (3**A**) के अंतर्गत, उपधारा (2) के अंतर्गत दिए गए नोटिस के जवाब में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है, और यदि कोई अभ्यावेदन किया जाता है, तो सुरक्षित ऋणदाता, ऐसे अभ्यावेदन या आपत्ति की प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर, उधारप्राप्त कर्ता को उस अभ्यावेदन या आपत्ति को अस्वीकार करने के कारणों से अवगत कराएगा।

19.वर्तमान प्रकरण में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रथम नोटिस दिनांक 24-2-2005 (अनुलग्नक–पी/1) को जारी किया गया। याचिकाकर्तागणों द्वारा दिनांक 13-4-2005 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उत्तरवादी बैंक द्वारा उक्त अभ्यावेदन की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई। इस बीच, धन वसूली के लिए

अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष लंबित रहने के दौरान, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत द्वितीय नोटिस दिनांक 28-7-2006 (अनुलग्नक –पी/4) को जारी किया गया। याचिकाकर्तागणों ने दिनांक 4-10-2006 को एक विधिक नोटिस/अभ्यावेदन प्रेषित किया। उत्तरवादी बैंक ने उक्त नोटिस/अभ्यावेदन के जवाब में यह उत्तर दिया कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 24-2-2005 को जारी प्रथम नोटिस को वापस लिया हुआ माना जाए। यह विचार व्यक्त किया गया कि दिनांक 28-7-2006 को जारी पश्चावर्ती नोटिस को प्रभावी किया जाए। इसके उपरांत, याचिकाकर्तागणों ने दिनांक 16-10-2006 (अनुलग्न –पी/7) को एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उत्तरवादी बैंक ने उक्त नोटिस का उत्तर सात दिनों के भीतर, अर्थात् दिनांक 23-10-2006 को,याचिकाकर्तागणों के अभ्यावदेन को अस्वीकार करते हुए दिया तथा आगे याचिकाकर्तागणों को दिनांक 13-11-2006 को बैंक के पक्ष में अभिदत्त संपत्तियों/परिसंपत्तियों का कब्ज़ा लेने हेतु सूचित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. न्यायालय के विचारार्थ जो प्रश्न उत्पन्न हुआ, वह यह है कि क्या सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 28-7-2006 को जारी द्वितीय नोटिस एक वैध नोटिस है।

21. उत्तरवादी बैंक ने प्रथम नोटिस को उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुँचाया, क्योंकि उत्तरवादी बैंक उपधारा (3क) धारा 13, सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित एक सप्ताह की अवधि के भीतर उस नोटिस का जवाब देने में विफल रहा। सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों में द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी न करने के संबंध में कोई निषेध या प्रतिबंध नहीं है। चूँकि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी प्रथम नोटिस वापस ले लिया गया था, अतः द्वितीय नोटिस को धारा 13(2) के अंतर्गत प्रथम नोटिस के रूप में माना जा सकता है। याचिकाकर्तागणों को इस तथ्य से कोई क्षति या प्रतिकूलता नहीं हुई कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 24-2-2005 को जारी प्रथम नोटिस को उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुँचाया गया, क्योंकि

याचिकाकर्तागण दिनांक 28-7-2006 को धारा 13(2) के अंतर्गत द्वितीय नोटिस जारी होने तक अधिक अवधि तक धनराशि अपने पास रखने की स्थिति में रहे।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *ट्रांसकोर* (उल्लेखित) प्रकरण में यह निर्णय दिया गया है कि ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष कोई आवेदन लंबित होना, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने में अब अवरोध नहीं है। याचिकाकर्तागणों को केवल इस तकनीकी आधार पर ऋण राशि का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि प्रथम नोटिस को उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुँचाया गया; अतः धारा 13(2) के अंतर्गत द्वितीय नोटिस पर रोक/निषेध है। प्रथम नोटिस को उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुँचाए जाने के कारण, याचिकाकर्ताओं ने अधिक अवधि तक उक्त राशि का लाभ उठाया है।

23. सरफेसी अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण, तथा सुरक्षा हित के प्रवर्तन को विनियमित करना और उनसे संबंधित विषयों का प्रावधान करना है। सरफेसी अधिनियम, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को दीर्घकालिक परिसंपत्तियों की वसूली, तरलता संबंधी समस्याओं एवं परिसंपत्ति–देयता असंतुलन के प्रबंधन, तथा ऋणों की वसूली में सुधार हेतु यह अधिकार प्रदान करता है कि वे प्रतिभूतियों का कब्ज़ा लें, उन्हें विक्रय करें और इस प्रकार वसूली एवं पुनर्निर्माण के उपाय अपनाकर अशोधित परिसंपत्तियों को कम करें। सरफेसी अधिनियम का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। दिनांक 24-2-2005 का प्रथम नोटिस, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों का सहारा लेने के लिए उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुँचाया जा सका। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यदि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी प्रथम नोटिस को प्रभावी नहीं किया गया है, तो धारा 13(2) के अंतर्गत द्वितीय नोटिस जारी करने में कोई निषेध या प्रतिबंध नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. याचिकाकर्तागणों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के *के.एस. भूपति एवं अन्य बनाम कोकिला एवं अन्य* [6] के निर्णय पर किया गया विश्वास किया गया, वर्तमान मामले के तथ्यों पर प्रभावी नहीं होता, क्योंकि *के.एस. भूपति* (उल्लेखित) प्रकरण में सिविल वाद के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'व्य.प्र.संहिता') के आदेश **XXIII**, नियम 1(3) की प्रयोज्यता पर विचार

किया गया था। सी.पी.सी (सिविल प्रक्रिया संहिता) के प्रावधानों के तहत विशेषकर इस प्रकरण के तथ्यों में वाद प्रस्तुत करने को 'सरफेसी एक्ट' की धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी करने के समान नहीं माना जा सकता, । सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत जारी नोटिस को उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया और बाद में उसे वापस ले लिया गया। उपर्युक्त कारणों से, यह प्रकरण सारहीन है। तदनुसार, याचिका निरस्त की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

सही/-
सतीश के.अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरण – हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित उपयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं किया जाएगा। **समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का हिन्दी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता की जावेगी ।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by : अजय कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता